

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 517 सन 2022

अनवान :-

1. भंवराराम पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सन्तलाल पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. माली पत्नी रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. कमला पुत्री स्व रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. कृष्णा पुत्री स्व रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सोना पुत्री जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सन्दीप कुमार पुत्र मामकोरी पुत्री रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सुरेश कुमार पुत्र मामकोरी पुत्री रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 27/7/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 82/70 की कुल 5.7160 हैक्ठु भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम से दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता रामकुमार के नाम से दर्ज थी वादी के पिता रामकुमार एवं उसकी पुत्री मामकोरी के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने है एवं रामकुमार की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ,7 वादी की बहन मामकोरी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जो वादी की माता/बहने है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है । वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

 अधिकारी
नोहर

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रामकुमार एव उसकी पुत्री मामकोरी के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/मामा/नानी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 82/70 की कुल 5.7160 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता रामकुमार के नाम से दर्ज थी वादी के पिता रामकुमार एवं उसकी पुत्री मामकोरी के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने है एवं रामकुमार की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ,7 वादी की बहन मामकोरी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 82/70 की कुल 5.7160 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता रामकुमार के नाम से दर्ज थी वादी के पिता रामकुमार एव उसकी पुत्री मामकोरी के देहान्त होने के उनके वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से दर्ज हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।


वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या

1,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 82/70 की कुल 5.7160 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से दर्ज है में से खसरा संख्या 623 की 3.7940 हैक् भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1,2 बहिब के एव खसरा संख्या 647/2 की 1.9220 हैक् भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/7/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहरपुर हनुमानगढ़)
वाहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भंवराराम पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सन्तलाल पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. माली पत्नी रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. कमला पुत्री स्व रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. कृष्णा पुत्री स्व रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सोना पुत्री जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सन्दीप कुमार पुत्र मामकोरी पुत्री रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सुदेश कुमार पुत्र मामकोरी पुत्री रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 617 सन 2022 निर्णय दिनांक- 27/7/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 82/70 की कुल 5.7160 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से दर्ज है में से खसरा संख्या 623 की 3.7940 हैक् भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के एव खसरा संख्या 647/2 की 1.9220 हैक् भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि वैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)